HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1068/2021

Ajay Kumar Meena S/o Ram Kumar Meena, Aged About 32 Years, R/o Meena Colony, Behind Tiwari Dharam Kanta, Dausa, Rajasthan Pin 303003

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Sugriv Kumar Meena S/o Shri Sanwal Ram Meena, Aged About 53 Years, R/o Plot No. 103, Aman Vihar, Gandrwa, Dausa, Rajasthan, Pin 303501

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Brighu Sharma, Mr. Sudhir Jain, Mr. Palash Shrivastava

For Respondent(s) : Mr. Bhawani Shankar Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

31/10/2022

यह पुनरीक्षण याचिका निगराकार/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनु.जा/ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण दौसा जिला दौसा के सेशन प्रकरण संख्या 33/2021 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2021 जिसके द्वारा निगराकार/अभियुक्त को धारा 307, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से आरोपित किए जाने का आदेश दिया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

याचिका की पृष्ठभूमि से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी सुग्रीव कुमार ने एक रिपोर्ट थाना कोतवाली दौसा पर इस आशय की पेश की कि दिनांक 17.12.2018 को अपने मकान के आगे के कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक खिड़की के शीशे टूटने की आवाज आई तो वह व उसकी पत्नी तथा बेटी तुरंत बाहर आकर देखा तो रसोई की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था एवं मोटरसाईकिल की आवाज सुनाई दी। देखने पर सामने वाली दीवार पर विद्युत स्विच बोर्ड के ऊपर टाइल पर छेद था, रसोई को चैक किया तो चारों तरफ शीशे बिखरे हुए

थे, जिस पर उसने तुरन्त थाने पर सूचना दी, पुलिस आई तो रसोई में चला हुआ कारतूस प्राप्त हुआ। इस प्रकार अज्ञात बदमाशों द्वारा उन्हें जान से मारने की नीयत से फायरिंग की है———। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 584/2018 दर्ज कर बाद अनुसंधान निगराकार/अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्त मुल्कराज के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा 307, 120—बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/25 आयुध अधिनियम में प्रस्तुत किया।

बहस आरोप सुनकर निगराकार/अभियुक्त को धारा 307, 120—बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से आरोपित किए जाने बाबत आलोच्य आदेश पारित किया जिसे इस याचिका में चुनौती दी गई है।

पुनरीक्षण याचिका पर बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार/अभियुक्त का तर्क है कि उसे घटना से संबंधित करने के लिए और अपराध से जोड़ने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य अन्वेषण के काल में एकत्र नहीं की जा सकी है और उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उनका यह भी तर्क है कि अभियोजन की कहानी के अनुसार मकान के बाहर से फायर किया गया है और मकान के अन्दर किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची है, इसलिए धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध नहीं बनता है। प्रकरण में याची—अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी पक्ष को जान से मारने संबंधी कोई षड़यंत्र करने की भी कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय ने उसके विरूद्ध धारा 307, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का आरोप विरचित करने का जो आदेश पारित किया है, वह सर्वथा विधि विरूद्ध है, जिसे अपास्त किया जावे और याची—अभियुक्त को आरोपों से उन्मोचित किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि आरोप के प्रक्रम पर साक्ष्य का विस्तृत विवेचन और मूल्यांकन नहीं करना होता है। प्रकरण में याची—अभियुक्त अजय और सहअभियुक्त मुल्कराज के मध्य परिवादी को जान से मारने का षड़यंत्र होने की साक्ष्य प्रथम दृष्टया उपलब्ध है। उनका तर्क है कि अपराध करने का हैतुक भी साक्षी अंकिता के कथनों से प्रकट हो रहा है। अन्य साक्षीगण सुग्रीव व प्रियंका के कथन से भी दोनों के मध्य आपराधिक षड़यंत्र होना स्पष्टतः प्रकट होता है और षड़यंत्र के अनुसरण में गोली चलाना प्रमाणित है। सहअभियुक्त द्वारा जिस आग्नेय शस्त्र से गोली चलाई

गई, वह उसकी सूचना पर बरामद हुआ है तथा मौके पर कारतूस भी बरामद हुआ है। परीक्षण पर उक्त कारतूस इसी प्रकार पर आग्नेय शस्त्र से चलाया जाना भी प्रकट हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि खिड़की के गोली चलाने से हत्या कारित करने का आशय स्पष्ट हो रहा है, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि किसी को चोट कारित ही हो। अतः अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश सर्वथा विधि सम्मत है, इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है।

हमने प्रस्तुत तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आरोप विरचना के स्तर पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप विरचित करते समय न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या पत्रावली पर यह उपधारणा करने के आधार उपलब्ध है कि अभियुक्त ने उक्त अपराध कारित किया है ?

वर्तमान् प्रकरण में विचारण न्यायालय ने निगरानीकार–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप विरचित करने का आदेश पारित कर आरोप विरचित किये हैं। प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि याची–अभियुक्त ने परिवादी के घर की रसोई की खिड़की पर गोली चलाई हो। प्रकरण में ऐसा कोई साक्षी नहीं है जिसके द्वारा याची–अभियुक्त को ऐसा कृत्य करते हुए देखा गया हो। याची–अभियुक्त से किसी प्रकार के कोई आग्नेय शस्त्र की बरामदगी भी नहीं हुई है और ना ही अपराध करने में प्रयुक्त किसी वाहन की बरामदगी हुई है। याची–अभियुक्त के आधिपत्य से ऐसी कोई वस्तु भी बरामद नहीं हुई है, जिससे उसे उक्त गोली चलाने की घटना से संबंधित किया जा सके। जहां तक साक्षी अंकिता और प्रियंका के इन कथनों का प्रश्न है कि परिवादी की पुत्री प्रियंका के साथ याची–अभियुक्त विवाह करना चाहता है और प्रियंका का विवाह कहीं और तय हो गया था, तो ये तथ्य अपराध कारित करने के लिए एक हैतुक मात्र हो सकते हैं परन्तु इस हैतुक के अग्रसरण में किसी प्रकार का कोई कृत्य याची–अभियुक्त द्वारा किया जाना, अन्वेषण में जो साक्ष्य एकत्र हुई है, उससे प्रकट नहीं हो रहा है। याची–अभियुक्त का सहअभियुक्त के साथ किसी प्रकार का कोई षड़यंत्र किये जाने की भी कोई विधिक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। जहां तक आरोपपत्र में अंकित इस तथ्य का प्रश्न है कि याची–अभियुक्त ने ही सहअभियुक्त मुल्कराज को 50,000 रूपये अपराध कारित करने के लिए दिये हैं, तो इस तथ्य को प्रकट करने की भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं

है। घटना के समय मौके पर याची–अभियुक्त की उपस्थिति दर्शित करने संबंधी मोबाईल फोन की कोई कॉल डिटेल भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। जहां तक याची–अभियुक्त की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सूचना पर घटना स्थल की तस्दीक किये जाने का प्रश्न है, तो घटना स्थल तो पूर्व से ही अन्वेषणकर्ता के ज्ञान में था और याची–अभियुक्त की सूचना पर किसी नये तथ्य का कोई प्रकटीकरण नहीं हुआ है। प्रकरण में परिवादी द्वारा जो लिखावट प्रस्तुत की गई है और जो अन्वेषण के काल में जब्त की गई है, वह लिखावट याची–अभियुक्त की ही हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इस प्रकार से पत्रावली पर ऐसी कोई विधिक साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया याची–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307, 120बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बनना प्रकट होता हो। विचारण न्यायालय ने केवल संदेह के आधार पर बिना किसी विधिक साक्ष्य के आरोपों की विरचना संबंधी आदेश पारित किया है, वह हमारे विचार से त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है और अपास्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जिला–दौसा द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 33/2021 में पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 13.09.2021 अपास्त किया जाता है तथा याची–अभियुक्त को धारा 307, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से उन्मोचित किया जाता है। तद्नुसार स्थगन प्रार्थनापत्र एवं अन्य लम्बित प्रार्थनापत्र यदि कोई हो, तो निस्तारित किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /32